340

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935
No. 260] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2013

संख्या एस-12012/59/2011-ई पी डब्ल्यू.— सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं के प्रभावी प्रापण और वितरण के लिए, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के तौर पर एक पूर्णतः स्वायत्त केंन्द्रीय प्रापण एजेंसी (सी पी ए) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

2. तदनुसार केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सी एम एस एस) को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 22 मार्च, 2012 को पंजीकरण संख्या एस/094/2012 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110011 में होगा।

3. सी एम एस एस, स्वास्थ्य सेवा वस्तुओं का पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से प्रापण करने तथा उन्हें 50 स्थलों पर गोदामों सहित एक आईटी सक्षम आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

4. सी एम एस एस, का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे ज़िला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को आपूर्ति बनी रहे।

5. सी एम एस एस, प्रापण के लिए दो बोली व्यवस्था (टू बिड सिस्टम) की एक पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और प्रापण के संबंध में सभी निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संदर्भ के बिना सी एम एस एस द्वारा लिए जाएंगे। तथापि प्रापण और इसके निष्पादन की निगरानी से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए मंत्रालय जिम्मेदार होगा।

6. सी एम एस एस, राज्य सरकारों को उनके राज्यों में प्रापण व्यवस्था में सुधारने के लिए इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना में भी सहायता करेगा।

केशव देसिराजु, सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th October, 2013

No. S-12012/59/2011-EPW.— The Government has decided to establish a fully autonomous central procurement agency (CPA) as a society under the Societies Registration Act, 1860 for efficient procurement and distribution of health sector goods.

2. Accordingly, the Central Medical Services Society (CMSS) has been registered under the Societies Registration Act, 1860 on 22nd March, 2012 vide Registration No. S/094/2012 with its Registered office at Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011.

3. The CMSS will be responsible for procuring health sector goods in a transparent and cost-effective manner and distributing them to the States/UTs by setting up an IT enabled supply chain infrastructure including warehouses in 50 locations.

4. The main objective of CMSS is to ensure uninterrupted supply of health-sector goods to the State Government which will then maintain the flow to the govt. health facilities such as district hospitals, primary health centers and community health centers.

5. CMSS will follow a totally transparent process with a two bid system for procurement and all decisions on procurement will be taken by the CMSS without any reference to the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). The Ministry will, however, be responsible for policy decisions concerning procurement and for monitoring its performance.

6. The CMSS will also assist the state governments to set up similar organizations in states to reform their procurement.

KESHAV DESIRAJU, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.